छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

मंगलवार, दिनांक 17 फरवरी, 2009

(माघ - 28, शक संवत् 1930)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 22 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 1 से 4, 6 से 8, 11 एवं 12 (कुल 09) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 5, 9 एवं 10 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमशः सर्वश्री संतोष बाफना, बैदूराम कश्यप एवं बोधराम कंवर, अनुपस्थित रहे ।

प्रश्नोत्तर सूची में अतारांकित प्रश्नों के रूप में 19 प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 03 **(प्रदेश में पुलिस द्वारा नक्सलियों पर की गई कार्यवाही)** पर चर्चा के दौरान श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया।

3. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य ने जिला सरगुजा के मेनपाट विकासखंड से बच्चों के लापता होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री विजय बघेल, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष ने हार्टिकल्चर मिशन द्वारा बीज खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

4. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणा अनुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) महंत रामसुंदर दास
(2) डॉ.सुभाऊ कश्यप
(3) श्री अमरजीत भगत
(4) श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर
(5) श्री रामपुकार सिंह

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणा अनुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्रीमती अंबिका मरकाम
(2) श्री दूजराम बौद्ध
(3) महंत रामसुंदर दास
(4) श्री देवजी भाई पटेल
(5) श्रीमती सरोजा मनहरण राठौर

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 4 सन् 2009)

श्री अमर अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 4 सन् 2009) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

डॉ.हरिदास भारद्वाज एवं श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 व 3 इस विधेयक के अंग बने ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

श्री अमर अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 4 सन् 2009) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ ।

7. वर्ष 2009-2010 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

माननीय जल संसाधन मंत्री के विभागों की मांगों पर श्री अजीत जोगी, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए ।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री रविशंकर त्रिपाठी,

(सभापति महोदय (डॉ.हरिदास भारद्वाज) पीठासीन हुए ।)

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, डॉ.शक्राजीत नायक, सर्वश्री दीपक कुमार पटेल, परेश बागबाहरा, विरेन्द्र कुमार साहू, भोलाराम साहू, मदन साहू, लेखराम साहू,

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री देवजी भाई पटेल, दूजराम बौद्ध, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर।

श्री हेमचंद यादव, जल संसाधन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) सुश्री लता उसेंडी, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने समाज कल्याण से संबंधित मांग संख्या 34, महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 55 एवं खेल और युवक कल्याण से संबंधित मांग संख्या 43 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-34 पर डॉ.हरिदास भारद्वाज, **मांग संख्या-55 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री भोलाराम साहू एवं श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, **मांग संख्या-43 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज एवं श्री भोलाराम साहू, सदस्य
के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर श्रीमती सरोजा मनहरण राठौर, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

डॉ.सुभाऊ कश्यप,

(सभापति महोदय (डॉ.हरिदास भारद्वाज) पीठासीन हुए ।)

डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, सर्वश्री दयालदास बघेल, रामपुकार सिंह, श्रीमती सुमीत्रा मारकोले, श्रीमती अंबिका मरकाम, सर्वश्री डमरूधर पुजारी, दूजराम बौद्ध,

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

सुश्री लता उसेंडी, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(3) श्री रामविचार नेताम, पंचायत मंत्री ने पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 30, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 80, पंचायत एवं ग्रामीण विकास से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित मांग संख्या 59 एवं न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन से संबंधित मांग संख्या 29 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-30 पर डॉ.हरिदास भारद्वाज, सदस्य

का कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर श्री शिवराज सिंह उसारे, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

श्री नारायण चंदेल,

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से पंचायत विभाग की अनुदान मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

सर्वश्री ह्दय राम राठिया, नंदकुमार साहू, रामदयाल उइके,

(सभापति महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए ।)

सर्वश्री खेदूराम साहू, परेश बागबाहरा, डोमनलाल कोर्सेवाडा, (डॉ.) कृष्णमूर्ति बांधी, देवजी भाई पटेल, दूजराम बौद्ध

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

श्री विरेन्द्र कुमार साहू,

श्री रामविचार नेताम, पंचायत मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

रात्रि 8.40 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 19 फरवरी, 2009 (माघ 30, शक संवत् 1930) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा